



No./CBSE/Rectt./2024-25

Date: 10-01-2025

PUBLIC NOTICE – CBSE RECRUITMENT EXAMINATION, 2024

The candidates shortlisted for Skill (Typing) Test for the post of Accountant and Junior Accountant in the Board on the basis of their performance in Tier -1 recruitment examination conducted by the Board on 10th and 11th August 2024 are hereby informed that **Skill (Typing) Test** will be conducted in **Delhi** on **29th January 2025** (Wednesday). The admit card with details of examination centre and time of examination will be available in candidate's application log-in on 22nd January 2025.

The candidates who have appeared in Tier - 1 examination in cities other than Delhi will be paid to and fro Sleeper Class (Non-AC) Train Fare. The candidates claiming the train fare will have to submit copy of their to and fro journey train tickets and copy of cancelled cheque of their bank account during Skill (Typing) Test. The amount due to the candidates will be transferred in their bank account.

Director (CTET)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. Of India)



सं./के.मा.शि.बो./भर्ती/2024-25

दिनांक 10-01-2025

जन सूचना – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती परीक्षा, 2024

बोर्ड में लेखाकार तथा कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए बोर्ड द्वारा दिनांक 10 एवं 11 अगस्त 2024 को आयोजित Tier - 1 परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर Skill (Typing) परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि Skill (Typing) परीक्षा **दिल्ली में** 29 जनवरी 2025 (**बुधवार**) को आयोजित की जायेगी। परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा के समय के विवरण के साथ प्रवेश पत्र उम्मीदवारों के आवेदन लॉग - इन में 22 जनवरी 2025 को उपलब्ध होगा।

उन सभी परीक्षार्थियों, जिन्होंने Tier-1 परीक्षा दिल्ली के अलावा अन्य शहर में दी है, को रेलवे का स्लीपर क्लास (नॉन - एसी) का आने-जाने का किराया भुगतान किया जाएगा। रेल किराये का दावा करने वाले उम्मीदवारों को Skill (Typing) परीक्षा के दौरान रेलवे टिकट की छाया प्रति तथा उनके बैंक खाते का निरस्त चैक जमा करना होगा। उम्मीदवारों को देय धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी।

निदेशक (सी. टी. ई. टी.)